


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 6/01/2015.

फा0क्रमांक 1(बी)/17/2012/21-ब(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रविन्द्र देव पाण्डेय पुत्र स्व.श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय अधिवक्ता, जिला सिंगरौली को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सिंगरौली सत्र खण्ड के सिंगरौली राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला सिंगरौली नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(अमिताम मिश्र)


अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 6/01/2015

फा0 क्रमांक 1(बी)/17/2012/21-ब(दो)

प्रतिलिपि:-

- (1) नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0) की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
- (2) आयुक्त, रीवा संभाग रीवा म0प्र0
- (3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली, म0प्र0
- (4) जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली की ओर उनके इस विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक/52/आर.डी.एम/2014/ दिनांक 17.1.14 के संदर्भ में भेजकर निर्देशानुसार लेख किया जाता है कि श्री रविन्द्र देव पाण्डेय, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला सिंगरौली का कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह पूर्व उक्त पद पर उनके कार्यकाल में वृद्धि के लिए अथवा उक्त पद पर अन्य नई नियुक्ति हेतु नवीन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुशंसा सहित आवश्यक प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित किया जाये, साथ ही वर्तमान कार्यरत शासकीय अभिभाषक के कार्य एवं आचरण के बारे में प्रतिवेदन भी संलग्न प्रेषित किया जाये ।
- (5) श्री रविन्द्र देव पाण्डेय पुत्र स्व.श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय अधिवक्ता, थाना रोड वैठन जिला सिंगरौली, म0प्र0
- (6) माननीय विधि मंत्री महोदय जी के निज सचिव, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


(अमिताम मिश्र)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग